UPET010005142026

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
उपस्थित– 'कमालुद्दीन' : एच०जे०एस०
J.O. Code U.P. 2690
आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 27/2026

श्यामवीर सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह
निवासी–नगला भूड, थाना निधौलीकलॉ, तहसील व जिला एटा।
------------------निगरानीकर्ता।

–बनाम–

1- हरिप्रसाद पुत्र मौहर सिंह
2-कमलेश पुत्र हरिप्रसाद
3-कमल सिंह पुत्र हरिप्रसाद
4-विनय पुत्र मुन्नेश
5-सचिन पुत्र मुन्नेश
6-विकास पुत्र रामगोपाल
समस्त निवासीगण-ग्राम श्यामपुर, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।
7-दो अज्ञात व्यक्ति
8- उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), एटा।
-----------------------विपक्षीगण।

–निर्णय–

1- प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता के द्वारा विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-205/2016, श्यामवीर सिंह बनाम हरिप्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांकित 29-05-2019 के आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2- वर्तमान निगरानी से संबंधित कथानक इस प्रकार है कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2019 विधि विरूद्ध है, तथ्य से परे है तथा खण्डित होने योग्य है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने एक मुकद्दमा अ0सं0–265/2016, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149 ,307, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ पर अभियुक्तगण हरिप्रसाद पुत्र मौहर सिंह, कमलेश पुत्र हरिप्रसाद, कमल सिंह उम्र करीब वर्ष पुत्र हरिप्रसाद, विनय पुत्र मुन्नेश, सचिन पुत्र मुन्नेश, विकास पुत्र रामगोपाल व दो अन्य के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा के आदेश पर अंकित कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2016 को समय करीब 05:00 बजे शाम उप जिलाधिकारी, एटा के आदेशानुसार क्षेत्रीय कानूनगो व लेखपाल व इलाका पुलिस निधौलीकलॉ तथा धर्मवीर पुत्र जयपाल सिंह व प्रदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह के साथ अपनी खरीदी हुई जमीन गाटा सं0–2788स पर नापतौल करा रहा था तभी हरिप्रसाद पुत्र मौहर सिंह, कमलेश पुत्र हरिप्रसाद, कमल सिंह पुत्र हरिप्रसाद, विनय नुत्र मुन्नेश, सचिन पुत्र मुन्नेश तथा दो व्यक्ति अज्ञात, निवासीगण ग्राम श्यामपुर, थाना निधौलीकलॉ अपने हाथों में इकनाला बन्दूक, राईफल, तमन्चे व लाठी डण्डे लेकर मौके पर आ गये और कहा कि साले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस खेत पर पैमाइश करो। जब कानूनगो ने उप जिलाधिकारी का आदेश दिखाया तो हरिप्रसाद ने उपरोक्त आदेश छीनने का प्रयास किया तथा कानूनगो के गाल पर दो चार थप्पड़ जड़ दिये। प्रार्थी ने मौके पर हरिप्रसाद को समझाने का प्रयास किया तो सभी लोगों ने एक राय मशविरा होकर कहा कि कोई साला बचकर ना जा पाये, जान से मार दो सालों को, इतना कहते कि कमल सिंह ने अपनी इकनाला बन्दूक से प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर किया, जो बराबर में खड़े प्रार्थी के भाई प्रदीप के सीने में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विकास पुत्र रामगोपाल निवासी श्यामपुर अपने पिता की लाइसेन्सी राइफल लेकर घर से फायरिंग करता हुआ आया तथा जहां कमलेश ने रायफल ले ली। उस राइफल से प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जो कमल सिंह के हाथ से लगकर उसके पेट पर जा लगा। सचिन व विनय ने भी प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर किये थे, जो प्रार्थी की गाड़ी में जा लगे। इस घटना को सुनील पुत्र फौजदार सिंह निवासी–विजयनगर, गाजियाबाद तथा अमरनाथ पुत्र रामौतार सिंह, निवासी नगला रमिया ने इस घटना को देखा तथा प्रार्थी व उसके साथियों को बचाया।

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.03.24 16:28:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लेखपाल कानूनगो व इलाका पुलिस मौके से अपनी जान बचाकर भाग गई। उपरोक्त मुकद्दमा में पुलिस ने दिनांक 28.10.2016 को अंतिम रिपोर्ट इस आधार पर लगा दी कि वादी मुकद्दमा श्यामवीर सिंह व धर्मवीर सिंह के विरूद्ध एक मुकद्दमा पंजीकृत है। उपरोक्त अभियोग में दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने भाई प्रदीप कुमार को आधार बनाकर उक्त अभियोग झूँठा पंजीकृत कराया है। अभियुक्तगण द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–34/2016 न्यायालय में प्रेषित की जाती है। उपरोक्त मुकद्दमा के खिलाफ प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) जलेसर, एटा के यहाँ दिनांक 30.11.2016 को प्रेषित की, जो दिनांक 29.05.2019 को बलहीन होने के कारण खारिज की गयी। सही बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोट के अनुसार प्रार्थी श्यामवीर सिंह दिनांक 30.06.2016 को समय करीब 05:00 बजे शाम उप जिलाधिकारी, एटा के आदेशानुसार क्षेत्रीय कानूनगो व लेखपाल के साथ धर्मवीर पुत्र जयपाल सिंह व प्रदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह के साथ अपनी खरीदी जमीनी गाटा सं0–2788 स पर नापतौल करा रहा था। तभी उपरोक्त नामदर्ज अभियुक्तगण आ गये तो हरिप्रसाद ने उपरोक्त आदेश छीनने का प्रयास किया तथा कानूनगो के गाल पर दो–चार थप्पड़ जड़ दिये। इससे पहले कि प्रार्थी कुछ समझ पाता उपरोक्त लोगों ने एक राय मशवरा होकर अभियुक्त कमल सिंह ने अपनी एक नाला बंदूक से प्रार्थी को जान से मारने की नियत से फायर किया जो बराबर में खड़े प्रदीप के सीने में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका मेडिकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस ने भी थाना निधौलीकलॉ पर दिनांक 30.06.2016 को मु0 अ0 सं0–146/2016 अन्तर्गत धारा–353, 332, 504 भा०दं०सं० व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, हरिप्रसाद पुत्र मौहर सिंह के विरूद्ध दर्ज कराई, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। उपरोक्त घटना से सम्बन्धित एक मुकद्दमा प्रार्थी व उसके परिवार वालों पर अ0 सं0–147/2016 थाना निधौलीकलॉ अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 323, 506 भा०दं०सं० का दर्ज कराया, जो कि प्रार्थी के अन्यत्र लवकुश, धर्मवीर, नीरेश, रिंकू का मुकद्दमा दिनांक 24.06.2024 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट)–प्रथम, एटा के यहाँ से दोषमुक्त हो चुका है, जिसकी छायाप्रति निगरानी के साथ संलग्न है। विपक्षीगण ने प्रार्थी व उसके परिवार को घोर यातनाएं दी एवं उसके भाई प्रदीप को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसका इंसाफ प्रार्थी को आज तक नहीं मिल सका है। प्रार्थी हाजिर अदालत आया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 को विधि मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुये पारित किया गया है। न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को पारित करते समय सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार किये बिना न्याय मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना उपरोक्त आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2019 खण्डित होने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी का निगरानी स्वीकार किया जाकर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 29–05–2019 अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

3– विपक्षीगण सं०–01 लगायत 07 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा को पर्याप्त अवसर दिया गया था, किन्तु वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को दृष्गित रखते हुए आदेश दिनांकित 29–05–2019 पारित किया गया है, जिसमें हस्ताक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश पारित होने के लगभग छः वर्ष बाद विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ, जिससे कि प्रकरण लम्बित रहे। तदानुसार निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– राज्य (विपक्षी संख्या-8) की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी में समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

5- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली भी इस पत्रावली के साथ संलग्न है, उक्त का भी अवलोकन किया गया।

6- मामलें में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा के द्वारा दिनांक 29-05-2019 को वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटिशन को निरस्त कर अंतिम आख्या को स्वीकार किया गया है।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियोगी/आवेदक श्यामवीर सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांकित 09-09-2016 के आधार पर अ०सं०-265/2016, अन्तर्गत धारा-147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ में अभियुक्तगण हरिप्रसाद एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध हुई थी, जिसमें विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी। आवेदक/अभियोगी श्यामवीर की ओर से दिनांक 30-11-2016 को प्रोटेस्ट पिटिशन कागज संख्या 16अ प्रस्तुत किया गया, जो सुनवायी हेतु विभिन्न दिनांकों को नियत होता रहा। दिनांक 23-07-2018 को प्रार्थना पत्र 16अ पर बहस सुनी गयी तथा आदेश हेतु दिनांक 04-08-2018 की तिथि नियत की गयी। पुनः पत्रावली दिनांक 04-08-2018 और उसके बाद सुनवायी हेतु कई तिथियों को नियत की गयी तथा दिनांक 29-05-2019 को आदेश पारित कर प्रोटेस्ट पिटिशन कागज संख्या 16अ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश में मात्र इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्या कार्यवाही किये जाने का आधार प्रतीत नहीं हो रहा है, परन्तु विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य जिसके आधार पर अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, उसके सम्बन्ध में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अंतिम आख्या स्वीकार क्यों किये जाने योग्य है, इस सम्बन्ध में कोई कारण भी आलोच्य आदेश में उल्लिखित नहीं किया गया है, जो यह प्रकट करता है कि आलोच्य आदेश यान्त्रिक रूप से पारित किया गया है। मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है। जहाॅ तक विपक्षीगण का यह तर्क है कि निगरानी लगभग छः साल बाद प्रस्तुत की गयी है, निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को आदेश दिनांकित 22-01-2026 के माध्यम से क्षमा किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब के सम्बन्ध में तर्क सारहीन हैं।

8- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **भगवन्त सिंह बनाम कमिश्नर आफ पुलिस एवं अन्य (1985) 2 SCC 537** एवं **विश्नू कुमार तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य (2019) 8 SCC 27** में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या के सम्बन्ध में न्यायालय की शक्तियों एवं प्रक्रिया बावत विस्तृत दिशा निर्देश पारित किये गये हैं। यह सुस्थापित विधि है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को केवल तकनीकि आधार पर प्रोटेस्ट पिटिशन खारिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर स्वतंत्र मुल्यांकन किया जाना चाहिए। विधि का नैसर्गिक सिद्धान्त भी यह कहता है कि मामले का निस्तारण पक्षकारों को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

9- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 29-05-2019 में उपलब्ध सामग्री का मुल्यांकन नहीं किया जाना प्रकट है, मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है, जो परिलक्षित करता है कि बिना मस्तिष्क के प्रयोग किये आदेश पारित किया गया है।

10- अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पारित नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29-05-2019 में अशुद्धता, अवैधता एवं अनौचित्यता प्रकट होती है, इस कारण से आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

प्रस्तुत आपराधिक निगरानी संख्या–27/2026 श्यामवीर सिंह बनाम हरिप्रसाद आदि, **स्वीकार** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-205/2016, श्यामवीर सिंह बनाम हरिप्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांकित 29-05-2019 **निरस्त** किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्प्रेक्षण के आलोक में अभियोगी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटिशन कागज संख्या 16अ पर सुनवायी कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। अभियोगी/निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–04–2026 को आवश्यक रूप से उपस्थित हो। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजी जावे। आपराधिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 24–03–2026

(कमालुद्दीन)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code- UP2690

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 24–03–2026

(कमालुद्दीन)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code- UP2690